यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** के माह 12/2014 से 12/2016 तक के अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि शंकर, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा प्रमोद चौधरी, वरिष्ठ लेकापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.01.2017 से 19.01.2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अदिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.12.2014 से 20.12.2014 तक श्री बी.डी. सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2005 से 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2014 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाय)

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	0	0	219.95	218.04	37.35	37.13	-	2.13
2014-15	0	0	228.99	224.73	55.39	55.22	-	4.43
2015-16	0	0	240.08	240.08	66.28	66.28	-	0

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)	आधिक्य (+)
2013-14	NRHM	13.86	48.75	31.23	31.38	
2014-15	NRHM	31.38	29.89	41.26	20.01	
2015-16	NRHM	20.01	41.25	37.08	24.18	

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हों तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(III) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे इंगित किया जाय) की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** (अनुपालन लेखापरीक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2015 एवं 02/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

1- विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या
146/2014-15	-	1
91/2005-06	-	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
AMP/385-86				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----------शून्य-------------

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- ` 3.62 लाख की सामग्री बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये क्रय करना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 12(1) के अनुसार जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत ` 15.00 लाख (रू. पन्द्रह लाख मात्र) तक हो तो सीमित निविदा विधि अपना सकते है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षण जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के सामग्री आपूर्ति/कोटेशन संबंधी अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि लगभग ` 3.62 लाख की सामग्री, वर्ष 2015-16, जैसे बैड, व्हील चेयर, डस्टबीन की खरीदारी, नियमानुसार निविदा आधार पर न करके, कोटेशन के आधार पर की गयी। जिसके कारण इकाई निविदा के आधार पर मिलने वाली न्यूनतम दरों को प्राप्त करने से वंचित रही।

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा प्रति उत्तर में बताया गया कि सामग्री सम्पूर्ति की आपूर्ति कोटेशन द्वारा की गयी है जो क्रय समिति द्वारा संस्तुति द्वारा की जाती है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकिक नियमानुसार 15.00 लाख की खरीद हेतु समिति निविदा की प्रक्रिया अपनाना आवश्यक था, जिसका अनुपालन करने में इकाई असफल रही।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- ` 1.75 लाख की जमानत राशि बन्धक न रखना एवं बिना अनुबंध के कार्य करवाना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं. 314/XXVIII-4-2005-743-2001 दिनांक 22 अगस्त 2005 के अंतर्गत जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में सफाई व्यवस्था, गन्दे वस्त्रों की धुलाई एवं भोजन व्यवस्था संविदा के आधार पर कराये जाने का आदेश दिया गया था। जो कि वर्तमान में लागू है। उक्त व्यवस्थायें स्वीकृत निविदादाता से अनुबंध के आधार पर करायी जा रही है।

जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के टेण्डर/कोटेशन एवं भोजन व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, वस्त्रों की धुलाई व्यवस्था से संबंधित लेखा अभिलेखों की विस्तृत जांच में पाया गया कि स्वीकृत निविदादाताओं, श्री राधेलाल वर्मा से ` 1.05 लाख एवं मै. आशा कैटरर्स से ` 0.70 लाख की जमानत धनराशि एन.एम.सी अथवा एफ.डी.के. रूप में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के पक्ष में बन्धक नहीं रखी गई है। श्री राधेलाल वर्मा के अनुबंध की अवधि एक वर्ष थी। जबकि अवधि के पूर्ण होने के बाद भी श्री वर्मा द्वारा कार्य किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई में उत्तर में स्वीकार किया कि निविदादाताओं से जमानत राशि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है एवं श्री वर्मा द्वारा अनुबंध समाप्त होने के बाद भी कार्य किये जाने पर इकाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। जिससे लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि हो जाती है। जो कि विभागीय उदासीनता का परिचायक है।

अतः निविदा की शर्तों को परे रखकर ` 1.75 लाख की जमानत राशि बन्धक न रखने एवं अनुबंध की समाप्ति के बाद भी बिना अनुबंध के कार्य करवाये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- प्रयुक्त धनराशि ` 65.00 लाख का शासन को गलत तथ्य प्रस्तुत कर अनियमित ढंग से व्यय किया जाना।

कार्यालय महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ की बजट पत्रावली की जांच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं. 12- लेखाशीर्ष 2210- चिकित्सा तथा स्वास्थ्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत स्वीकृत राशि ` 65.00 लाख में वर्णित शर्तें जो कि 31 मार्च 2016 तक व्यय न होने की दशा में वर्षान्त कोषागार में समर्पण पत्र की प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने की बातें कही गयी थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वीकृत धनराशि ` 65.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2015-16 में ` 52,06,858.00 व्यय किया गया तथा शेष धनराशि ` 12,93,142.00 चिकित्सा प्रबंधन के खाते में रखकर वर्ष 2016-17 की अवधि में व्यय किया जाना पाया गया, परन्तु इकाई द्वारा 2015-16 में शासन को प्रेषित Budget Mannual-4 प्रपत्र में समस्त, धनराशि व्यय बताया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि ` 65.00 लाख की धनराशि कोषागार द्वारा आहरित कर समिति के खाते में जमा किया गया, जिस कारण BM-4 में पूर्ण व्यय दर्शाया गया है।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया क्योंकि अप्रयुक्त धनराशि का समय से शासन को समर्पित न कर मनमाने ढंग से एक ओर व्यय करना तथा दूसरी ओर अप्रयुक्त धनराशि के तथ्य को शासन से छुपाने का प्रकरण प्रकाश में आता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2- ` 0.10 लाख मूल्य की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिये एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री के निष्प्रयोज्य घोषित कर यथाशीघ्र उसकी नीलामी की जानी चाहिये ताकि सामग्री को और ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के उपकरणों से संबंधित मासिक उपयोगिता पत्रावली एवं भण्डार पंजिका की जांच में पाया गया कि तीन जनरेटर्स (03 KV, 20 KV, 10 KV) को भण्डार पंजिका में सम्पत्ति के रूप में अंकित नहीं किया गया है। जिससे भण्डार पंजिका के भौतिक सत्यापन में उपरोक्त जनरेटर्स परिलक्षित नहीं हो रहे थे। एक जनरेटर 03 KV मूल्य धनराशि ` 10,000/- जो निष्प्रयोज्य प्रेषित की गयी थी, कि नीलामी नहीं की गयी थी। उपरोक्त सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी न किये जाने के कारण उक्त सामग्री का निरन्तर मूल्य ह्रास हो रहा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में स्वीकार किया कि दो जनरेटर्स को बिल, बाउचर के अभाव में भण्डार पंजिका में अंकित नहीं किया गया है एवं तीसरे के बारे में ज्ञात कर सूचित किया जायेगा तथा सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर से आपत्ति की स्वतः पुष्टि हो जाती है।

अतः अनुपयोगी सामग्री ` 0.10 लाख मूल्य की सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम नहीं किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. **सतत् अनियमितताएः-**

(अ) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ. निर्मला पुनेठा	मु.चि.अधी.	01.11.2010 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)